रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1984/चैत्र 25, 1906
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1984/CHAITRA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना आयोग

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1984

सा॰ का॰ नि॰ 367.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1980 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (अनुसंधान सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 है।

2. योजना आयोग (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1980 के स्तम्भ 6 में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"35 वर्ष से अधिक नहीं"

"(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)"

[संख्यांक ए॰ 12011/1/83-प्रशा॰-II]

एस॰ पी॰ मौर्य, अवर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th January, 1984

G.S.R. 367.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Planning Commission (Research Assistant) Recruitment Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Planning Commission (Research Assistant) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Planning Commission (Research Assistant) Recruitment Rules, 1980, in column 6, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Not exceeding 35 years"

"(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)".

[No. A-12011/1/83-Adm. II]

S. P. MAURYA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

सा॰ का॰ नि॰ 368.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन (संगणक

1626 GI/83—1

9	10	11	12	13	14
				(3) Deputy Director (Admn.), Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Pondicherry —Member	

[No. Z-28015/25/81 ME(PG)]

P.C. JAIN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1984

सा० का० नि० 389.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आकाशवाणी बम्बई (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1980 को अधिक्रांत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी में हिंदी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों का प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6(क)
हिंदी अधिकारी	19* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी के माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी के माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री स्तर पर हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी के माध्यम से किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में, अनुवाद कार्य का, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य का पांच वर्ष का अनुभव। या हिंदी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : (i) संस्कृत और/या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान। (ii) प्रशासनिक अनुभव (iii) टिप्पण और प्रारूपण से संबंधित हिंदी कक्षाओं या कर्मशालाओं का आयोजन करने का अनुभव। टिप्पण : 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे होगी या/ प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ;	ऐसा हिन्दी अनुवादक, श्रेणी *II*, जिसने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. उप महानिदेशक (ए) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—अध्यक्ष;	सीधी भर्ती और किसी अधिकारी का प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए, चयन करते

10	11	13	13
(ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ; (iii) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।	केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी, (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 550–800/900 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने 425–700/800 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	2. निदेशक (प्रशासन और वित्त) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य; 3. उप महानिदेशक (वाणिज्यिक)—सदस्य 4. उप सचिव, राजभाषा विभाग—सदस्य।	समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[संख्या 12019/11/77-बी(ए)]

जगमोहन लाल माथुर, अवर सचिव

टिप्पण : आकाशवाणी बम्बई (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम 1980 से जाने वाले मुख्य नियम सा० का०नि० सं० 1016 दिनांक 27-9-1980 में अधिसूचित हुए थे।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 28th March, 1984

G.S.R. 389.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the All India Radio, Bombay (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1980 the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Officer in All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the All India Radio (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters, relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6a	7
Hindi Officer	19* (1983) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' Gazetted non-Ministerial	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep).	No.	Essential : (i) Master's degree or equivalent of a recognised University in English with Hindi as a subject at the degree level. Or Master's degree or equivalent of a recognised University in Hindi with English as a subject at the degree level. Or Master's degree or equivalent of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as subjects at the degree level. Or Master's degree or equivalent of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level. Or Master's degree or equivalent of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. (ii) 5 years' experience of terminological work in Hindi and/or translation from English to Hindi or vice versa preferably of technical or scientific literature. Or 5 years experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi.

1	2	3	4	5	6	6a	7
							Notes : 1 Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Knowledge of Sanskrit and/or a modern Indian language, (ii) Administrative experience. (iii) Experience of organising Hindi classes or workshops for noting and drafting.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in make recruitment.
8	9	10	11	12	13
No	Two years	(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation; (ii) 25% by transfer on deputation failing which by direct recruitment; (iii) 25% by direct recruitment.	Promotion: Hindi Translator, Grade II with 8 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments, (a) holding analogous posts; or (ii) with 3 year's service in posts in the scale of Rs. 550-800/900 or equivalent; or (iii) with 8 year's service in posts in the scale of Rs. 425-700/800 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Deputy Director General (A) Ministry Information & Broadcasting —Chairman 2. Director (Administration & Finance) Ministry of Information & Broadcasting —Member 3. Deputy Director General (Commercial) —Member 4. Deputy Secretary of Department of Official	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and selecting an officer for appointment on deputation.

8	9	10	11	12	13
			direct recruits under col. 7. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).	Languages—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	

[No. 12019/11/77-B(A)]

J.L. MATHUR, Under Secy.

Note :— The principal rules called the All India Radio, Bombay (Hindi Officer), Recruitment Rules, 1980, were notified vide G.S.R. No. 1016, dated 27-9-1980.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

शुद्धि पत्र

सा० का० नि० 390.—भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 को पृष्ठ सं० 27-90-2791 पर प्रकाशित केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) द्वितीय संशोधन नियम, 1983 से संबंद्ध नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) सा० का० नि० सं० 950, दिनांक 10 दिसम्बर, 1983 को भारत सरकार की अधिसूचना में (क) पृष्ठ सं० 2790 पर नियम 27-रेसिडुअरी मैटर्स में अन्य सेवाओं पर नियम सामान्य रूप से लागू होते हैं, के स्थान पर अन्य केन्द्रीय सेवाओं पर नियम सामान्य रूप से लागू होते हैं, पढ़ें ।

[फाइल सं०-आर० डब्ल्यू०/ए० 22(51)/76-ए०]

एम० आर० गथवाल, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

New Delhi, the 27th March, 1984

CORRIGENDUM

G.S.R. 390.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) G.S.R. No. 950, dated the 10th December, 1983 relating to the Central Engineering Service (Roads) Group 'A' of the Ministry of Shipping and Transport (Roads Wing) Second Amendment Rules, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th December, 1983 at pages 2790-2791,

(a) at page 2790, in Rule 27-Residuary matters, for "rules applicable to other services in general" read "rules applicable to other Central Services in general."

[File No. RW. A. 22(51)/76-A]

M. R. GATHWAL, Dy. Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1984

सा० का० नि० 391.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग में समूह "ख" प्रशासनिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत मौसम विज्ञान विभाग (प्रशासनिक काडर समूह "ख") भर्ती नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।